विद्यालय अनुदान → परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपया प्रति स्कूल अनुदान दिया गया था विद्यालय अनुदान मे से 1000 स्कूल पुस्तकालय सुविधाओं के सुधार के लिए दिया गया था। बाकी निधि को गैर कार्यात्मक उपकरण को कार्यात्मक बनाने मे स्कूल सौन्दर्यीकरण मरम्मत और फर्नीचर अनुरक्षण, संगीत, वाद्ययन्त्र और और स्कूलों के सम्पूर्ण पर्यावरण के विकास पर खर्च किया गया था।

शिक्षक अनुदान →
कक्षा कार्यवाही के विकास और शिक्षक सहायता की तैयारी के क्रम के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी एलoपीo 01 यूपी शिक्षकों को दिया जाता है। प्रभावी कक्षा कार्यवाही के लिए शिक्षको ने अनुदान का प्रयोगात्मक उत्पादन और उपलब्ध कराने किया

SHOT ON A46
itel AI CAMERA

R.T.E

Righ To Education

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधि०-200

संविधान (86 वाँ संशोधन) अधिनियम 20
भारत के संविधान में अंतःस्थापित
अनुच्छेद 21-क ऐसे ढंग से जैसा
कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित क
मौलिक अधिकार के रूप में 6-14
वर्ष के आयु समूह में सभी बच
को मुफ्त और अनिवार्य बाल शि
शिक्षा (RTI) अधिनियम 2009 में
बच्चों का अधिकार जो अनुच्छे
21 क के तहत पारिणामी विधान
का प्रतिनिधित्व करता है का
अर्थ है कि औपचारिक स्कूल
जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों
और मानकों को पूरा करता है
में संतोषजनक और एक समान
गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक
शिक्षा के लिए ...

R.T.E

Righ To Education

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधि०-2009

संविधान (86 वॉ संशोधन) अधिनियम 2002 भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21-क ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6-14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा शिक्षा (RTI) अधिनियम 2009 में बच्चो का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मान दंडो और मानको को पूरा करता है। में संतोष जनक और एक समान गुण वत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

Page No.
Date : / /

अनुच्छेद 21 का और R.T.I अधि० 2010

R.T.I अधिनियम के शीर्षक में "नि:शुल्क और अनिवार्य शब्द" सम्मिलित है। नि:शुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्पित नही है। किसी फीस का प्रभार या व्यय जो प्रारम्भिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नही होगा अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चो को प्रवेश, उपस्थित और प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने को और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढाँचे के लिए आगे बढ़ा है। जो R.T.I अधिनियम के प्रावधो के अनुसार संविधान के अनुच्छेद-के मे यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ा है। केन्द्र व राज्य सरकारो पर कानूनी बाध्यता रखता है।

SHOT ON A46
itel AI CAMERA

Page No.
Date 28/09/2020

R.T.E.

Right To Education

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधि०-2009

संविधान (86 वॉ संशोधन) अधिनियम 2002 भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21-क ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6-14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा शिक्षा (RTE) अधिनियम 2009 में बच्चो का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है का अर्थ है कि औपचारिक एकल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडो और मानको को पूरा करता है। में संतोष जनक गुण वत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

OT ON A46
AI CAMERA

Page No.
Date : 30/09/2020

सहानुभूति ⇒

सहानुभूति दूसरो की भावनाओ को साझा करने और समझने की क्षमता है सहानुभूति से आधिक घटको का निर्माण होता है। सहानुभूति को देखने के तीन तरीके है।

1- भावनात्मक सहानुभूति ⇒

यह दूसरो की भावनाओं को साझा करने की क्षमता है। जो लोग भावनात्मक सहानुभूति की भावना उच्च स्कोर करते है। उदाहरण- डरावनी फिल्म देखने के बाद एक मजबूत प्रतिक्रिया दिखाते है। और डरने लगते है। दूसरो के प्रति सहानुभूति पूर्वक जुड़ जाते है। और दूसरे के दर्द को दृढता से महसूस करते है।

संज्ञानात्मक सहानुभूति ⇒

इसमे दूसरो की भावनाओ को समझने की क्षमता है। जैसे मनोचिकित्सक तर्कसंगत रूप से दूसरे को समझता है और आपके रोग की उस समस्या को रखता है

SHOT ON A46
itel AI CAMERA

Page No.
Date : / /

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद
National Council of Educational and Training

भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामले पर केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गयी है। यह परिषद भारत में स्कूली सम्बन्धी सभी नीतियों पर कार्य करती है।

इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेष कर स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का है। इसके अतिरिक्त N.C.E.R.T के अन्य कार्य हैं। शिक्षा के समुचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग एवं प्रोत्साहन करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना और अपने कार्य में या द्वारा, स्कूलो में लाये गये बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकारो और अन्य शैक्षणिक संगठनो को स्कूली शिक्षा सम्बन्धी सलाह आदि देना और अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रकार की दिशा में कार्य में NCERT की उपस्थिति किसी न किसी रूप मे रहती

SHOT ON A46
itel AI CAMERA